



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18042026-271894
CG-MH-E-18042026-271894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2026/चैत्र 26, 1948

No. 276]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2026/CHAITRA 26, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 16 अप्रैल, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(रियल इस्टेट निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/302 - बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा धारा 12 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में,

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (नक) में,

- i. शब्दों, चिह्नों तथा अंक “उन ओवरनाइट स्कीमों की यूनितें, म्यूचुअल फंड की उन लिक्विड स्कीमों की यूनितें जिनकी ‘क्रेडिट रिस्क वैल्यू’ कम से कम 12” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “ओवरनाइट स्कीमों की यूनितें, म्यूचुअल फंड की उन लिक्विड स्कीमों की यूनितें जिनकी ‘क्रेडिट रिस्क वैल्यू’ कम से कम 10” आ जाएँगे;
- ii. शब्दों, चिह्नों तथा अंक “में श्रेणी-ए-1” के बाद और शब्दों “के दायरे में आती हों” से पहले शब्द, चिह्न तथा अंक “या श्रेणी-बी-1” जोड़े जाएँगे;
- iii. शब्दों तथा चिह्नों “खजाना बिल (ट्रेज़री बिल)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ट्रेज़री बिल (खजाना बिल)” आ जाएँगे।

II. विनियम 18 में, उप-विनियम (5) में, खंड (झ) में,

(क) शब्दों “कम से कम” के बाद दिए हुए अंक “12” के स्थान पर अंक “10” आ जाएगा;

(ख) शब्दों, चिह्नों तथा अंक “में श्रेणी-ए-1” के बाद और शब्दों “के दायरे में आती हों” से पहले शब्द, चिह्न तथा अंक “या श्रेणी-बी-1” जोड़े जाएँगे।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./45/2026-27]

टिप्पणी :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 (अधिसूचना सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576) 26 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 11 दिसम्बर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 (अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/287) द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 16th April, 2026

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2026**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/302.— In exercise of the powers conferred under Section 30 read with Sections 11 and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014, namely: —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014, —
- I. in regulation 2, in sub-regulation (1),
- a. in clause (ta),
- i. the number “12” appearing after the words “credit risk value is at least” shall be substituted with the number “10”;
 - ii. after the words and symbol “Class A-I” and before the words “in the potential risk class matrix” the words and symbol “or Class B-I” shall be inserted;
 - iii. the words and symbols “government securities, treasury bills, repo on government securities” shall be substituted with the words and symbols “Government Securities, treasury bills, repo on Government Securities”;
- II. in regulation 18, in sub-regulation (5), in clause (i),
- a. the number “12” appearing after the words “credit risk value is at least” shall be substituted with the number “10”;
 - b. after the words and symbol “Class A-I” and before the words “in the potential risk class matrix” the words and symbol “or Class B-I” shall be inserted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./45/2026-27]

Note:

1. The Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 was published in the Gazette of India on September 26, 2014 vide notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576 and was last amended on December 11, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) (Third Amendment) Regulations, 2025 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/287.